

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर
E-Mail ID:- sjeraj_dev@yahoo.co.in

क्रमांक:- एफ.11(164)/सान्याअवि/देयो/छा.संचालन/19-20/

42116

दिनांक:-

16/07/19

आदेश

देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2015-2016 से 2018-19 तक वर्षवार चरणबद्ध स्वीकृत कार्यों में देवनारायण आदर्श बालिका छात्रावास बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (स्वीकृत क्षमता-50), देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर (स्वीकृत क्षमता-50) एवं देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास कुचामन सिटी जिला नागौर (स्वीकृत क्षमता-50), के विद्यालय स्तरीय छात्रावासों को शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 से लेखाशीर्ष 2225-03-196-05-04 (राज्य निधि मद) के अंतर्गत संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

नवनिर्मित देवनारायण आदर्श बालिका छात्रावास बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (स्वीकृत क्षमता-50), देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर (स्वीकृत क्षमता-50) एवं देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास कुचामन सिटी जिला नागौर (स्वीकृत क्षमता-50), हेतु लेखाशीर्ष 2225-03-196-05-04 (राज्य निधि मद) के अंतर्गत निम्नानुसार नवीन पदों का सृजन किया जाता है:-

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	पदनाम	नवसृजित स्वीकृत पदों की संख्या	पे-मेट्रिक्स लेवल L-5
1	देवनारायण आदर्श बालिका छात्रावास बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (स्वीकृत क्षमता-50)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II	01	20800-65900
2	देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर (स्वीकृत क्षमता-50)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II	01	20800-65900
3	देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास कुचामन सिटी जिला नागौर (स्वीकृत क्षमता-50)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II	01	20800-65900

छात्रावास अधीक्षकों के पद संबंधित नियमों की पालना करते हुए भरे जायेंगे।

उक्त छात्रावासों में चौकीदार एवं रसोइयों के कार्य निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन जॉब बेसिस (Job Basis) पर नियमानुसार कराने की सहमति प्रदान की जाती है।

1. उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।
2. जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTTP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
3. व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।
5. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (1) वित्त/ एस.पी.एफ.सी.-2017 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161900653 दिनांक 08.07.2019 एवं सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

(सांवर मल्लवर्मा) VS
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ.11(164)/सान्याअवि/देंयो/छा.संचालन/19-20/

42117-38

दिनांक:—

16/07/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास को भेजकर निवेदन है कि वे उक्त नवीन सृजित पदों का संबंधित केडर स्ट्रेन्थ में शामिल कर ऑनलाईन करावें तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करावें।
7. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
8. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़/सवाईमाधोपुर/नागौर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ़/सवाईमाधोपुर/नागौर।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास को वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि वे उक्त छात्रावासों के संचालन के लिए आवश्यक बजट एवं अनावर्तक सामग्री शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, चित्तौडगढ़/सवाईमाधोपुर/नागौर।
12. संयुक्त निदेशक (आईटी), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश में उल्लेखित नवीन छात्रावासों को छात्रावासों की सूची में सूचीबद्ध करवाने का श्रम करावें।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

Pragyanan
17/7/19

अतिरिक्त निदेशक (देव.यो.)